7843/RTI/2013
31/12/13

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र

दिनांक : 23.12.2013

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
26 DEC 2013
1611

प्रति,
केन्द्रीय जन सूचना प्राधिकारी,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
केन्द्रीय सचिवालय,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001.

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र ।

महोदय,
अधिनियम के तहत आवेदक कंपनी को निम्नानुसार जानकारी / सत्यापित दस्तावेज प्रदान किये जावें ।

1. देश में नक्सल हिंसा से ग्रस्त घोषित प्रदेशों में से एक छत्तीसगढ़ प्रदेश / राज्य में नक्सली समस्या के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों से केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रुप से संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं । इन जिलो के नामों की जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।

2. कंडिका 1 के संबंध में प्रादान की जा रही जानकारियों में यदि जिला - नारायणपुर भी शामिल हो तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस जिले नारायणपुर की कौन कौन सी तहसीलें नक्सल समस्या से प्रभावित मानी जाकर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रुप से चिन्हित एवं घोषित किया गया है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।

3. कंडिका 2 के में वर्णित जिला - नारायणपुर वनमंडल के अन्तर्गत ग्राम -करचामेटा, मदमनार-तारामेटा, बारगांव एवं पण्डरीपानी क्षेत्र को कंडिका 1 एवं 2 में अपेक्षित जानकारियों की किस श्रेणी केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित किया गया है इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।

आवेदक कंपनी को उपरोक्त चाही गई जानकारी निम्नलिखित पते पर प्रदान करने का कष्ट करें ।

सधन्यवाद !

आवेदक G. Panigrahi
for, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड,
जे.एम.जी हाउस, पंचशील नगर,
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
पिन - 492001.

संलग्न : आवेदन शुल्क रु. 10/- भारतीय पोस्टल आर्डर (19F 434275 dt 24/12/13)

क्र.सं. 26 (जारी)

सूचना का अधिकार/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-|(भाग)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-|

***

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-|| भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 06 जनवरी, 2014

- 7 JAN 2014

सेवा में,

श्री जी पाणीग्रही
सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
जे.एम.जी. हाउस, पंचशील नगर, सिविल लाइंस
रायपुर-492 001 (छत्तीसगढ़)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलबध कराने के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 02.01.14 के पत्र संख्या ए-43020/01/2014-आरटीई का अवलोकन करें | उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है | संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है |

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है| इसका संबंध नक्सल प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से है | अतः आवेदन पत्र को संबंधित प्रभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है | आप उनसे सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हैं |

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-|| भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं |

भवदीय,

गौतम घोष
(गौतम घोष)
उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.
फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि संलग्नों सहित निम्नलिखित को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित :

निदेशक (नक्सल प्रभाग-I), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली | उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है| आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दें |

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री वी. के. राजन, उप सचिव (ई) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में प्रेषित |

Issued on
R.B. No-2113
07-01-2014